राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

जिला कलक्टर,
झुंझुनूं।

क्रमांक 7(8)कार्मिक/क–2/2008पार्ट   जयपुर, दिनांक: 15 NOV 2019

विषय:–ओ.बी.सी.(नॉन क्रीमीलेयर) प्रमाण–पत्र बनाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन बाबत।

सन्दर्भ:–आपका पत्र क्रमांक 527 दिनांक 29.07.19

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के सन्दर्भ आप द्वारा पूछे गये बिन्दु संख्या 03, 04 एवं 05 के क्रम में निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है:–

3. क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर हेतु सेवाओं का वर्गीकरण वेतनमान के आधार पर न करते हुए पत्र दिनांक 02.05.2019 के अनुसार राज्य सेवाएँ एवं अधीनस्थ सेवाओं के अनुसार ही रखा जाना है।
4. 40 वर्ष के उपरान्त सीधी भर्ती से वर्ग–I में आने वाला व्यक्ति और 40 वर्ष के उपरान्त पदोन्नति से वर्ग–I में आने वाला कर्मचारी दोनो ही नॉन–क्रीमीलेयर में आयेंगे, इनमे कोई अंतर नही होगा।
5. इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 02.05.2019 के द्वारा दिया गया निर्देश उक्त दिनांक के पश्चात बनाये जाने वाला सभी प्रमाण पत्र बनाने पर लागू होंगे।

(जय सिंह)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:–निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
2. समस्त कलक्टर्स (समस्त संभागीय आयुक्त सहित), राजस्थान।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थन।

उप शासन सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohar Singh Meena
Date: 2021.09.10 11:57:47 IST
Reason: SelfAttested

D:\Vishnu\2019\2019\letter 2019.docx kata

Scanned by CamScanner